प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला–** भ्रनिब्यूरो, चौकी, कोटा शहर, कोटा **थाना–** प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर
2. प्र0इ0रि0 सं. ....33/2022.......... दिनांक..........06/2/22
3. अधिनियम व धाराऐ:–
   (I) ●अधिनियम– **पी0सी0 एक्ट (संशोधित) 2018** धारायें.–..**7, 7 ए**............
   (II) ●अधिनियम ..**भारतीय दण्ड संहिता**..... धारायें–.....**201 व 120 बी**..........
   (III) ●अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) ●अन्य अधिनियम एवं धाराये................................
4. रोजनामचा एवं घटना तिथि का विवरण:–
   (अ) ●रोजनामचा आम रपट संख्या ....91 समय–..........................10.15 A.M.
   (ब) ●अपराध घटने का दिन (वार) ......शुक्रवार...... दिनांक– ....04.02.2022.....समय–...09.15 पीएम...
   (स) ●थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक–......02.02.2022...... समय–...........................
5. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक:– . लिखित
6. घटनास्थल :–
   (अ) ●पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **उत्तर 40 कि.मी.**
   (ब) ●घटना स्थल का पता :– आबकारी कार्यालय, धानमण्डी रोड बून्दी
   (स) ●बीट संख्या....................... जयरामदेही सं................
   (द) ●यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   ●पुलिस थाना .... जिला ....
7. परिवादी / सूचनाकर्ता–
   (अ) ●नाम :– **श्री आशीष मंयक**
   (ब) ●पिता / पति का नाम :– **श्री नरेन्द्र कुमार मंयक**
   (स) ●जन्म तिथी / वर्ष :– **जाति दर्जी, उम्र 38 साल**
   (द) ●राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) ●पासपोर्ट संख्या .... ● जारी होने की तिथि............................
   ● जारी होने की जगह ....
   (र) ●व्यवसाय :– शराब व्यवसायी
   (ल) ●पता :– निवासी– भितरिया कुण्ड, चौथ माता मन्दिर चौक, शिवपुरा थाना दादाबाडी जिला कोटा।
8. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित:–
   1. **श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा जाति ब्रहाम्ण, उम्र 42 साल निवासी मु पो. लिसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल निवासी म.न. 24ए, तिरूपति विहार, माचडा, सीकर रोड, जयपुर जिला बून्दी हाल आबकारी निरीक्षक, वृत बून्दी राजस्थान**
   2. **श्री फराजुद्दीन, निवासी घसीयारा मौहल्ला, बाईपास रोड, बून्दी (प्राईवेट ड्राईवर)**
9. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– नही
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें). :–
11. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :– 20000 रूपये
12. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) :–
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

दिनांक 02.02.2022 को परिवादी श्री आशीष मंयक पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार मंयक जाति दर्जी उम्र 38 साल निवासी चौथमाता मंदिर के पास भीतरिया कुण्ड शिवपुरा दादाबाडी थाना दादाबाडी कोटा ने स्वयं के हस्तलेख मे शिकायत अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, कोटा को इस आशय की पेश की कि ''मैं आशीष मंयक पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार मंयक जाति दर्जी उम्र 38 साल निवासी चौथमाता मंदिर के पास भीतरिया कुण्ड शिवपुरा दादाबाडी थाना दादाबाडी कोटा का रहने वाला हूँ। मेरी कम्पोजिट शराब की दुकान ग्राम टीकरदा थाना कोतवाली बून्दी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे है। इस शराब की दुकान मेरे पार्टनर भरत कोठारी पुत्र श्री शंभूदयाल कोठारी निवासी वार्ड रेतवाली नीलकंट मंदिर के पीछे टीपटा कैथूनीपोल कोटा के नाम लाईसेंस है। इस शराब की दुकान मे एक ओर पार्टनर सिदार्थ कोठारी निवासी बारां भी है। इस शराब की दुकान का सारा काम व लेनदेन मैं ही देखता हूँ

क्योकि भरत व सिदार्थ तो अन्य काम करते है। इसलिये इस शराब दुकान का नौकरनामा भी मेरे ही नाम है। दिनांक 27.01.2022 को मेरी शराब की दुकान टीकरदा पर आबकारी बून्दी के डी0ओ0 साहब, सीआई साहब विनोद शर्मा व अन्य स्टॉफ के साथ मेरी दुकान पर आये थें। मै उस दिन कोटा ही था मेरे पास फोन आया ओर मैने सीआई साहब विनोद जी से बात की तो उन्होने कहा की आपकी दुकान मे अवैध शराब रखी हुई आपके दुकान का मुकदमा दर्ज करगे आप आ जाओं। इस पर मैं तुरंत कोटा से रवाना होकर टीकरदा शराब की दुकान पर पहुंचा तो मुझे मेरे नोकर हंसराज गुर्जर ने बताया कि सीआई साहब छः पेटिया शराब की दुकान से ले गये है ओर मुझे केस मे फंसाने की धमकी देकर मेरा मूल आधार कार्ड ले गये है ओर आपको उनके कार्यालय मे बुलाया है। इस पर मैने मेरे पार्टनर भरत को बून्दी बुलवाया ओर हम दोनो सीआई साहब विनोद शर्मा जी के पास उनके बून्दी के आबकारी कार्यालय मे गये तो सीआई साहब ने हम दोनो को धमकाया ओर कहा कि तुम एक केस व पच्चीस हजार रूपये लेकर आ जाओ तो मैं हंसराज गुर्जर को फ्री करके उसको आधार कार्ड दे दूंगा। हमने कहा साहब ये माल आबकारी गौदाम का माल है व काफी हाथा जोडी करने पर भी वह नही माने। इस पर मैने उनको एक केस दे दिया अब उसके बाद से ही सीआई साहब विनोद शर्मा मेरे पार्टनर भरत को पच्चीस हजार रूपये व मंथली छः हजार रूपये ओर देने की मांग कर रहे है। मैं सीआई साहब विनोद शर्मा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उनको रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई आपसी रंजिश नही है ओर ना हि कोई उधार का लेनदेन बकाया है। शिकायत पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे। उक्त शिकायत पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, कोटा ने मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिये जिस पर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से दिनांक 02.02.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर, परिवादी श्री आशीष मंयक को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझायी गयी तथा परिवादी श्री आशीष मंयक को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर उसके साथ निगरानी हेतु श्री भरत सिह कानि. 515 को वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी विनोद शर्मा सीआई के पास आबकारी कार्यालय बून्दी के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 05:45 पी.एम. पर परिवादी श्री आशीष मंयक व श्री भरत सिह कानि0 515 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के उपस्थित आया। परिवादी श्री आशीष मंयक ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज हम दोनो कार्यालय हाजा से रवाना होकर बून्दी पहुंचे थें। वहां पर भरतजी बाहर ही रूक गये थे, मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके डीओ कार्यालय आबकारी बून्दी मे गया तो सीआई साहब विनोद शर्मा उनके कक्ष मे नही मिले इस पर मैने उनको कॉल किया तो उन्होने मुझे इंतजार करने के लिये कहा। इसके बाद मैने उनके ड्राईवर से पूंछा तो उसने वीसी मे होना बताया इस पर मैं बाहर भरत जी के पास आ गया था। कुछ देर बाद सीआई साहब का मेरे पास कॉल आया फिर मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके वापस डीओ कार्यालय बून्दी मे गया वहां पर मुझे सीआई साहब विनोद शर्मा उनके चैम्बर मे बैठे हुऐ मिलें। उनसे मेरी बात हुई ओर उन्होने मेरे से छः हजार रूपये मंथली के नाम का लिफाफा लेकर पहनी हुई पेन्ट की जेब मे रख लिया था ओर पच्चीस हजार रूपये की ओर मांग कर रहे है हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सब डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गयी है। श्री भरत सिह कानि0 515 ने परिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर परिवादी द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त करके रिकार्ड वार्ता को सुना तो उक्त आरोपी द्वारा परिवादी से छः हजार रूपये का लिफाफा प्राप्त करना तथा पच्चीस हजार रूपये मांगने की पुष्ठि हुई। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने रूपयो की व्यवस्था करके पृथक से अवगत कराने हेतु कहा गया। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत करके रूकसत किया गया। दिनांक 03.02.2022 को परिवादी श्री आशीष मंयक ने मन् पुलिस निरीक्षक को जर्ये मोबाईल कॉल करके बताया कि मैने 25000/– रूपयो की व्यवस्था कर ली है परन्तु आज मुझे कोई काम है कल सुबह 08.30 एएम पर आपके कार्यालय मे उपस्थित आ जाउंगा। दिनांक 03.02.2022 को एक तहरीर कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 04.02.2022 को समय 08.30 एएम पर कार्यालय हाजा भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 04.02.2022 समय 09:00 ए.एम. पर पूर्व के पाबन्दशुदा गवाह श्री कुलदीप नागर सूचना सहायक कोष कार्यालय कोटा व श्री कोशल कुमार कनिष्ठ सहायक, कोष कार्यालय कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये इसके बाद परिवादी श्री आशीष मंयक मय रिश्वत राशि पच्चीस हजार रूपये के कार्यालय हाजा उपस्थित आने पर परिवादी का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित शिकायत प्रार्थना पत्र उक्त गवाहान को पढवाया जाकर ट्रैप कार्यवाही मे सम्मलित होने की सहमति चाही गयी। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की। समय 09:45 ए.एम. पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री आशीष मंयक एंव आरोपी विनोद शर्मा के मध्य दिनांक 02.02.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री भरत सिह कानि. 515 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10:30 ए.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री आशीष मंयक ने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25000/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द मे अंकित किये गये। श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर